


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/28006/08

दिनांक: 03.11.2017

कार्यालय आदेश

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम-भाग-III के आईटम संख्या 11 (स) के प्रावधानानुसार जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) प्रथम, उदयपुर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सर्वे रिपोर्ट क्रमांक जिशिअ माप्र/भंडार/2017/264 दिनांक 11.09.2017 के द्वारा प्रस्तुत एस.आर.06 में कमेटी द्वारा अंकित अभिशंषा के आधार पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 26 पार्ट -I राजस्थान पारदर्शिता उपापन नियम, 2013 के नियम 11 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में वाहन संख्या जीप आर.जे. 27-सी/1471 को एतद्वारा नकारा घोषित किया जाता है। कार्यालयाध्यक्ष को पाबन्द किया जाता है कि नीलामी द्वारा निस्तारण तक वाहन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें।



वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक: 03.11.2017

क्रमांक:शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/28006/08

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रभारी अधिकारी (पूल) जिला कलेक्टर महोदय, उदयपुर
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि नकारा वाहन की नीलामी चालान से जमा करवाकर एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।
4. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर अनुभाग को अपलोड करने हेतु।


वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर